भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 144

सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

बेरोजगारी दर

144. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत की बेरोजगारी दर में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई है और जुलाई 2024 तक यह 6.4 प्रतिशत हो गई है तथा गोवा, केरल, मेघालय, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में कौशल भारत मिशन के बावजूद राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्थिति को बनाए रखने और सुधारने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार युवा पीढ़ी के कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच सहयोग से संबंधित उपायों की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किए जाते हैं जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध है जिसे एमओएसपीआई की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/download- reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। रोजगार अवसरों का विस्तार करने के विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), स्टैंडअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवीणता दिला कर भविष्य के लिए तैयार करना है।

सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लाई है जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है। मध्य और माध्यमिक विद्यालय में कम उम्र में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके गुणवत्ता पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारू रूप से एकीकृत किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है।

***